यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत के माह 05/2015 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्द्र चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25.05.2017 से 01.06.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-**I**

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अश्विनी पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.2015 से 06.06.2015 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2013 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद केअंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी, विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण किया जाताहै।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य
2014-15	Nil	Nil	74.67	62.93	11.73	1711.24	1703.09	8.23
2015-16	Nil	Nil	72.08	68.25	3.83	1776.72	1746.15	30.57
2016-17	Nil	Nil	75.49	73.60	1.90	2026.52	1936.45	90.07

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है—

(धनराशि रू. लाख में)

योजना का नाम	**2015-16**			**2016-17**		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	00	191.01	191.01	00	262.90	262.90
अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्ति	00	6.33	6.325	00	118.05	90.296
अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर छात्रवृत्ति	00	3.60	3.60	00	175.60	162.036
पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	00	8.19	7.99	00	14.05	पूर्ण समर्पित
अनु. जनजाति के 9-10 की छात्रवृत्ति	00	00	00	00	00	00

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई बी श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 से 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया शादी एवं बीमारी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देवी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी

सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनारम्भ कार्यों की धनराशि रू. 14.78 लाख विगत तीन वर्षों से अवरूद्ध रहना तथा 02 निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु शासनादेश संख्या 4858/स.क.-लेखा/बजट आवंटन/2013-14 दिनांक 04 मार्च 2014 द्वारा धनराशि रू. 39.62 लाख का आवंटन 08 कार्यों के निर्माण के लिए प्रदान किया गया था। इन कार्यों में सुरक्षा दीवार आदि कार्य शामिल थे। शासनादेश में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन किया जाना प्रावधानित थाः

1. संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी/ब्लांक स्तर के धिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में पूर्व में संचालित/स्वीकृत न हो।
2. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा।
3. कार्यों के सम्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत की अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों एवं माह नवम्बर 2016 की मासिक प्रगति प्रतिवेदन की जांच में पाया गया कि स्वीकृत 08 कार्यों में से केवल 03 कार्य ही पूर्ण किये जा सके है तथा 02 कार्य प्रगति पर दर्शित है। मुख्य विकास अधिकारी को सम्बोधित जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 17.08.2015 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धनराशि रू. 14.78 लाख से निर्मित होने वाली 03 योजनाओं के स्थान परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान की गयी परन्तु स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया कि नहीं इससे संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था तथा वर्तमान तक उक्त कार्य अनारम्भ था।

शासन ने जिलाधिकारी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 18 अकटूबर 2016 द्वारा अवगत कराया कि चूंकि अवस्थापना मद में निर्माण कार्य को उसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने का प्रवाधान है जिस वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ हो। यदि निर्माण कार्य उस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ नहीं किया जा सकता तो योजना पर स्वीकृत धनराशि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अतः वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अवस्थापना मद में स्वीकृत योजना के जो कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये है उसे हेतु स्वीकृत धनराशि प्रत्येक दशा में दो दिन के अन्दर राजकोश में जमा कर शासन को अवगत करावें।

संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये रू. 14.78 लाख से निर्मित होने वाली 03 योजनाओं से संबधित धनराशि वर्तमान तक शासन को समर्पित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रगति पर दर्शित 02 निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त की धनराशि रू. 4.97 लाख की विगत तीन वर्षों से वर्तमान तक पी.एल.ए. खाते में अवरूद्ध था। कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि को शासन के निर्देश प्राप्त होते ही संबंधित प्राप्ति मद में यथाशीघ्र जमा कर दिया जाना चाहिए था जिसे वर्तमान तक नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि संदर्भित धनराशि को यथाशीघ्र शासन को समर्पित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है तथा अपूर्ण कार्यों के संबंध में अवगत कराया कि इन कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाएगा।

अतः अनारम्भ कार्यों की धनराशि रू. 14.78 लाख विगत तीन वर्षों से अवरूद्ध रहने तथा 02 निर्माण कार्य अपूर्ण रहने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- कार्यालय द्वारा संचालित बैंक खाते में अनियमित रूप से रू. 295 लाख की धनराशि अवरूद्ध ही रहना।

STAN

प्रस्तरः–1. गौरादेवी योजना के अर्न्तगत 72 लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद लाभान्वित न किया जाना एवं रु0 36 लाख की धनराशि बैक खाते में अवरूद्व रखा जाना।

शासनादेश सख्यॉ 749/XVII-4/2016-01(135)2013- टी. सी –1 (05/16) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016–17 से उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को आन लाईन करने के निर्णय लिया गया हैं। गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु निम्न पात्रता होनी चहिए':–

(I) शासनादेश के अनुसार योजना हेतु पात्र गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21206/–शहरी क्षेत्र से अधिक न हो।

(II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत छात्रा के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जूलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो।

(III) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की ऐसी बालिकाऐं पात्र होगी जो राज्य में स्थित केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (शासकीय/अशासकीय) इण्टर कालेजो से कक्षा–12 उत्तीर्ण हो।

(IV) पूर्णकालिन/अंशकालिन रूप से सेवायकोजि छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नही होगी।

(V) एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

(VI) योजना के अर्न्तगत चयनित प्रति छात्रा रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा ऐसे शासकीय बैक जो सी बी एस माध्यम से जुडे है में छात्रा के नाम से तीन से पाचॅ वर्ष की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरो के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर बालिका को मूलधन प्रदान किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत के वर्ष 2016–17 के लेखाभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुसूचित जाति, एवं जनजाति के (232+05) कुल 237 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना चाहिए था। जिसके लिए शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के (68+04) के कुल 72 छात्रों के लिए रू. 36 लाख अवमुक्त किया गया। जो कि विभाग द्वारा (मार्च 2017) तक धनराशि विभागीय खातें में आहरित कर लिया गया है। परन्तु लाभार्थियों को वितरत नही किया जा सका है। जबकि छात्रवृत्ति का वितरण यथाशीध्र किया जाना चाहिए था। शासनादेश (09/2009) में स्पष्ट प्रावधान है कि धनराशि विभागीय पी०एल०ए० मे जमा किया जाना चाहिए था। बैक में ऐसी धनराशियॉ सामान्यता नही रखी जानी चाहिए थी। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया। सम्प्रेक्षा अवधि (05/17) 03 माह से बैक में पडी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि लाभर्थियों के पक्ष मे FD बन चुका है परन्तु उनके पते पर भेजी जानी अवशेष है। जिसे यथाशीध्र लाभार्थियों को पंजीकृत डाक से भेजा जा रहा है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि समस्त धनराशि आनलाईन लाभार्थियों के खाते में डाला जाना चाहिए था। जिससे की यथाशीध्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसके विपरित इकाई द्वारा शाासनादेश की अवहेलना कर धनराशि आहरित कर बैक में अवरूद्व रखा था।

अतः वर्ष 2016–17 में गौरादेवी योजना के अर्न्तगत के 72 लाभार्थियों को को रू 36 लाख वितरण न कर वचिंत रखने एवं शासनादेश के विरूद्व धनराशि बैक में अवरूद्व रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :2. विकलागं पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को रू.149.75 लाख का अनियमित प्रेषण एवं 131 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वचित रखना।

विकलाग पेशन हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो बी०पी०एल श्रेणी के अन्तर्गत आता है। जिसकी मासिक आय रू 4000/– से अधिक न हो एवं एक परिवार मे पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेशन का लाभ मिलेगा एवं महिला लाभार्थि को प्राथमिकता दी जायेगाी। पेशन का भुगतान प्रतिमाह रू 1000/– की दर से त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाता हें। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक सख्या 5137 दिनॉक 29 मार्च 2017 में स्पष्ट प्रावधान था कि निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार सभी लाभार्थियों को धनराशि आनलाईन भुगतान किया जाना का प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत के वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के विकलागं भरण पोषण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमश 1914 एवं 1549 लाभार्थि हेतु क्रमश रू 164.50 लाख एवं रू 277.18 लाख विकलाग पेशन हेतु अवमुक्त किये गये थे। जाचॅ में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमश (रू 75.14 एवं रू 74.61) कुल रू. 149.75 लाख शासनादेश के विपरित आफ लाईन वितरण किया गया। जो कि शासनादेश की अवहेलना थी। जबकि उच्चधिकारी द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे कि समस्त धनराशि का भुगतान आनलाईन किया जाये। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया। आगे जाचॅ में यह भी पाया गया कि वर्ष 2016–17 में 131 लाभार्थियों को रू 3.93 लाख धनराशि बैक को प्रेषित करने के पश्चात भी लाभार्थि को वितरण नही किया जा सका हैं एवं योजना के लाभ से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि जिला ग्रामीण बैक एंव नैनीताल बैक के खाते अन्य जिलों से Duplicate होने के फलस्वरूप NEFT के माध्यम से भेजे जा रहे है। मिनी बैक में संचालित खातें सी बी एस खातें से खोलने हेतु लीड़ बैक अधिकारी को सूची उपलब्ध करायी गई है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि इकाई द्वारा धनराशि प्रेषण करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित किया जाने चाहिए था कि समस्त लाभार्थियों के बैक खाते सी बी एस हो तत्पश्चात ही धनराशि आहरित किया जाना चाहिऐ था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया है।

अतः विकलागं पेन्शन योजना के अर्न्तगत में रू.149.75 का अनियमित प्रेषण करने एवं 131 लाभार्थि को योजना के लाभ से वचित रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-3- अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग दशोमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 रू. 42.00 लाख समर्पण जबकि उन वर्षों में लाभार्थी वंचित रहे गये।

कार्यालय जिला समाज कल्याण, चम्पावत में अनु. जाति दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कुल रू. 124.38 लाख आवंटित किया गया जिसके सापेक्ष रू. 96.63 लाख वितरण किया गया एवं समर्पित राशि रू. 27.75 लाख था। पिछड़ी जाति दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में विगत दो वर्ष में रू. 14.25 लाख कार्यालय द्वारा समर्पण किया गया अर्थात कुल धनराशि (27.75+14.25) = रू. 42.00 लाख इकाई द्वारा समर्पण किया गया पर निम्नलिखित चात विद्यालयों की जांच में यह पाया गया कि लाभार्थियों को या तो भुगतान नहीं किया गया अथवा कम भुगतान किया गया।

1) वर्ष 2015-16 में स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट द्वारा 03 छात्रों की सापेक्ष में 02 लाभार्थियों को भुगतान किया गया।

2) वर्ष 2015-16 में राजकीय पालीटेक्निक, टनकपुर की प्रेषित 05 छाक्ष में से 02 लाभार्थियों को भुगतान किया गया।

3) वर्ष 2015-16 में स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट द्वारा प्रेषित 09 छात्रों को रू. 14,305.00 की धनराशइ कम भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में भी यह बताया गया कि बजट की कमी के कारण तो कमी बताया गया कि साफ्टवेयर की तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पाया, जबकि इकाई द्वारा समर्पित राशि था रू. 42.00 लाख।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
92	2012-13	शून्य	1,2,3,4,5	1
26	2015-16	01	1,2,3,4	4,5,6

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारम के संबंध में इकाई ने अवगत कराया कि वर्तमान में अनुपालन आख्या तैयार नहीं है जिसे यथाशीघ्र तैयार कर उच्च अधिकारियों की संस्तुति के साथ उचित माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-**V**

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी.सी. जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)